न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-384RAAJodhpur2024-209RTA225 Urmila ors Vs Rampal etc

01. उर्मिला पत्नी सुनिल
02. सुनिल कुमार पुत्र बाबूलाल
    जातियान विश्नोई, निवासीगण–ग्राम सुरनाडा, जम्भेष्वर नगर, तहसील लोहावट जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. रामपाल पुत्र बलवन्ताराम
02. शान्ति पत्नी बलवन्ताराम
    जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम सुरनाडा, जम्भेश्वर नगर, तहसील लोहावट जिला फलोदी।

रेस्पो.....

03. अणदाराम पुत्र हरजीराम
04. ऐलची पत्नी रामूराम
05. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल
06. कमला पुत्री बंशीलाल
07. जगदीश पुत्र बंशीलाल
08. भंवरलाल पुत्र बंशीलाल
09. पूनी पुत्री बंशीलाल
10. पालू पुत्री बंशीलाल
11. शान्ति पत्नी बंशीलाल
12. सोहनी पुत्री बंशीलाल
13. हडमानराम पुत्र बंशीलाल
14. बाबूलाल पुत्र जोधाराम
15. भागीरथराम पुत्र भीखाराम
16. भागीरथराम पुत्र हरजीराम
17. मगनाराम पुत्र हरजीराम
18. नारायणराम पुत्र रूघनाथराम
19. हडमानाराम पुत्र रूघनाथराम
20. हंसराज पुत्र रूघनाथराम
21. समदा पुत्री रूघनाथराम
22. केली पुत्री रूघनाथराम
23. लूगा पुत्री रूघनाथराम

24. रामरखराम पुत्र भीखाराम
25. रामलाल पुत्र भीखाराम
26. रामी पत्नी मलूकाराम
27. रोशनी पत्नी बचनाराम
28. शान्तिदेवी पत्नी सत्यनारायण
29. सहीराम पुत्र भीखाराम
30. रमेश पुत्र पांचाराम
    जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम सुरनाडा जम्भेष्वरनगर, तहसील लोहावट जिला फलोदी।
31. यूको बैंक शाखा लोहावट जिला फलोदी।
32. एच.डी.एफ.सी. बैंक फलोदी, जिला फलोदी।
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला फलोदी।

परर्फोमा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 30 अगस्त 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2024 रामपाल व अन्य बनाम अणदाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री पूनाराम विष्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बाबूलाल विष्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या तैतीस

नि र्ण य

दिनांक : 05 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2024 रामपाल व अन्य बनाम अणदाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 30 अगस्त 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2188 रकबा 9.4939 हैक्टेयर ग्राम सरनाडा तहसील लोहावट में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य

रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2196 रकबा 2.4605 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2192 रकबा 5.0181 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2193 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में सें मार्क ए. बी.सी.डी. 18 फुट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेष दिनांक 30 अगस्त 2024 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स अपीलाधीन भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार काष्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण व अन्य सभी खातेदारों को बिना सुने एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उनकी खातेदारी भूमि मे से रास्ते का एक तरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धानतों के विपरीत होने से निरस्त करने काबिल है। न्याय का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि प्रभावित पक्षकार अर्थात् रेकर्डेड खातेदारों को सुनवाई का अवसर देकर ही उनकी खातेदारी भूमि से अगर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो तो धारा 251–क के तहत रास्ता दिया जा सकता है। हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को दिनाक 09–05–2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं आगामी तारीख पेशी 12–06–2024 रखी गई। दिनांक 12–6–2024 को पीठासीन अधिकारी नही थे और पत्रावली दिनांक 04–07–2024 को रखी गई। दिनांक 04–07–2024 की आदेशिका के अनुसार तहसीलदार लोहावट से मौका रिपोर्ट प्राप्त होना बताया गया एवं अप्रार्थीगण (अपीलार्थीगण) के नोटिस की डाक रसीदे पूर्व में पेश करना बताया गया एवं नोटिस इन्तजार एवं बहस मौका रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 10–07–2024 को रखी गई। दिनांक 10–07–2024 को अपीलार्थीगण व अन्य सभी खातेदारों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई, जबकि अपीलार्थीगण को कभी कोई नोटिस प्राप्त ही नही हुआ। इस प्रकार तमाम कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए एक तरफा की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि दिनांक 10–07–2024 से पत्रावली दिनांक 24–07–2024 को बहस मौका रिपोर्ट हेतु रखी गई, लेकिन दिनांक 24–07–2024 को पीठासीन अधिकारी नही थे। पत्रावली दिनांक 21–08–2024 को रखी गई एवं दिनांक 21–08–2024 से दिनांक रखकर दिनांक 30–08–2024 को एकतरफा

अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थीगण ग्राम सुरनाडा के खसरा नं0 2193 के रेकर्डेड खातेदार है। प्रत्यर्थी सं० 1 व 2 खसरा नं0 2188 के खातेदार है। हल्का पटवारी द्वारा बिना सहायक कलेक्टर के आदेश के मौका रिपोर्ट दिनांक 10–06–2024 का पत्र क्रमांक मानते हुए दिनांक 11–06–2024 को तैयार की गई। दिनांक 12–06–2024 को विचारण न्यायालय में पेश कर दी गई। हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु कोई सूचना नही दी एवं एक तरफा रिपोर्ट रास्ते की बिना जांच किये कार्यालय में बनाकर पेश कर दी। प्रत्यर्थी सं० 1 व 2 के खसरा नं0 2188 में वैकल्पिक रास्ता पूर्व में मौके पर चला आ रहा है। प्रत्यर्थी सं० 1 व 2 द्वारा इससे पूर्व कदीमी रास्ते के तहत दिनांक 03–04–2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें कोई आदेश पारित न होने के कारण एकतरफा धारा 251–क के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित करवा दिया जो खारिज करने काबिल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न होने पर एवं अत्यन्त आवश्यकता होने पर नया रास्ता दिया जा सकता है, केवल सुविधा के लिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। हस्तगत मामले मे रेसपो. संख्या 1 व 2 के खसरा नं0 2188 में आने जाने हेतु रास्ता मौके पर दूसरी साईड से लगता है। तहसीलदार लोहावट द्वारा मौके की बिना जांच किये एकतरफा रिपोर्ट बनाकर एक दिन में ही पेश कर दी, जबकि विचारण न्यायालय का मौका रिपोर्ट तलब करने का कोई आदेश ही नही था। इस प्रकार तमाम कार्यवाही विचारण न्यायालय में कानूनी प्रकियाओं को दरकिनार करते हुए की गई है जो बहाल रखने काबिल नही है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–08–2024 को निरस्त किया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में RRT2020 (1) Page 359, RRT 2022 (2) Page 1022,RRT 2016-2017 Sup Page 677, DNJ 2023 (1) Page 340 की न्यायिक नजीरे पेष की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही

लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स द्वारा रास्ता न देने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवगामन हेतु मौके पर कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार तलब मौका फर्द अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम पाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर विधिसम्मत आदेष पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संस्थित किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेष दिये गये। प्रार्थीगण/रेस्पो. द्वारा बिना किसी आदेष अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन भिजवाये जाकर पोस्टल रसीदे पेष की गई। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों के विपरीत पोस्टल रसीदात के आधार पर अपीलांट्स पर सम्मनो की सम्यक तामील मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स कों सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान किया जाना पाया जाता है। इस संबंध में2022(2)आर.आर.टी. 1022 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि **प्रभावित पक्षकार को सुने बगैर रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है।** प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण के तथ्य समान होने से हस्तगत प्रकरण पर लागू होते है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 11 जून 2024 के अवलोकन मुताबिक मौका रिपोर्ट धारा 69 राजस्थान काष्तकारी(सरकारी)

नियम,1955 में अधिनियत की धारा 251–ए को प्रभाव देने के लिए बनाये गये नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में अपीलांट्स को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। धारा 251–ए की मूल भावना है कि क्या रास्ते की आवष्यकता आत्यांतिक है और वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं है। प्रस्तुत मौका फर्द में इस तथ्य का परीक्षण ही नही किया गया है तथा न ही मौका फर्द में प्रार्थीगण के वर्तमान आवागमन के रास्ते को स्पष्ट किया गया है, जबकि अपीलांट्स द्वारा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का कथन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की किसी भी आदेषिका में मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेष नहीं दिये गये है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आदेष से पत्र क्रमांक/कोर्ट/2024/102 दिनांक 10.06.2024 के जरिये तहसीलदार को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया है। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 11 जून 2024 को रिपोर्ट तैयार करवाकर दिनांक 12 जून 2024 को ही विचारण न्यायालय को भिजवाया जाना पाया जाता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संपूर्ण कार्यवाही अपीलांट्स की अनुपस्थिति में जल्दबाजी में की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की जांच किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेष प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेष समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2024 रामपाल व अन्य बनाम अणदाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 30 अगस्त 2024 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार लोहावट से प्रार्थीगण/रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्ते के विकल्पों की जांच कर उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर, उस पर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 251–ए की मंषानुरूप निकटतम रास्ते का आदेष पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर